

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती

दिनांक-28.09.2020

थाना हरैया पुलिस द्वारा 08 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष हरैया श्री सर्वेश राय मय टीम द्वारा दिनांक 27.09.2020 को समय 22.20 बजे ग्राम बेलाड़े शुक्ला मोड़ के पास से अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ विमलेश को 08 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना हरैया पर मु0अ0सं0 246/2020 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अरविन्द कुमार उर्फ विमलेश पुत्र हरिशंकर ग्राम मुरादीपुर थाना हरैया जनपद बस्ती।

वांछित अभियुक्त का विवरण:-

1. दीपक चौहान उर्फ लालू पुत्र रापाल चौहान निवासी वार्ड नं0 3 उग्रसेन नगर कस्बा हरैया थाना हरैया जनपद बस्ती ।

बरामदगी का विवरण-

1. 08 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा

अभियुक्त अरविन्द कुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 294/2019 धारा 8/20 NDPS Act थाना छावनी जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 246/2020 धारा 8/2020 NDPS Act थाना हरैया जनपद बस्ती ।

अभियुक्त दीपक चौहान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 116/2018 धारा 8/2020 NDPS Act थाना हरैया जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 246/2020 धारा 8/2020 NDPS Act थाना हरैया जनपद बस्ती ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गांजा बेचने का कार्य मैं अपने साथी दीपक चौहान उर्फ लालू पुत्र रापाल चौहान निवासी वार्ड नं03 उग्रसेन नगर कस्बा हरैया थाना हरैया जनपद बस्ती है के साथ अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिये चोरी छिपे से जनपद बाराबंकी में भीटरिया के पास से तिवारी नामक एक व्यक्ति से लाकर बेचता हूँ। आज गांजा बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष हरैया श्री सर्वेश राय
2. उ0नि0 सुरेश यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।
3. कां0 अजय कुमार यादव, कां0 राजू यादव, कां0 अनिल यादव, कां0 चन्दशेखर, कां0 कामरान थाना हरैया जनपद बस्ती।